



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ जलीव जीव कछुआ तस्करी गिरोह का मुख्य आरोपी
का आत्मसमर्पण और बड़ी बरामदगी

प्रेस विज्ञप्ति (80/26, दिनांक 21.10.2026)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश इकाई इन्दौर के द्वारा कार्यवाही करते हुये फरार आरोपी रौनक पिता बलवीर सिंह जुनेजा, उम्र 28 वर्ष, निवासी 18/02, कुंदन कॉम्प्लेक्स, देवास द्वारा STSF की सख्त कानूनी कार्रवाई और उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा अग्रिम जमानत याचिका निरस्त किए जाने के बाद, निरंतर गिरफ्तारी के दबाव से घबराकर आरोपी ने दिनांक 14 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इंदौर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। STSF द्वारा न्यायालय में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 18/10/2026 तक पूछताछ हेतु रिमांड पर लिया गया।

रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर निम्नलिखित दुर्लभ वन्यजीव जीवित अवस्था में जप्त किए गए हैं:

19 नग जीवित इंडियन पौंड टर्टल (Indian Pond Turtle)

02 नग जीवित स्टार टॉर्टोइस (Star Tortoise)

ये दोनों प्रजातियां अत्यंत दुर्लभ हैं और इन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी रौनक को माननीय विशेष न्यायालय, इंदौर में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया है।

इस अंतर्राज्यीय तस्करी प्रकरण में अब तक कुल 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 54 नग कछुए (अनुसूची-1 में संरक्षित) और 01 नग रोज़ रिंगड पेराकीट (जीवित) जप्त किए जा चुके हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं और प्रकरण की विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी

कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)

(कक्ष- एसटीएसएफ)

मध्यप्रदेश, भोपाल